

दिनमान तापमान



सूर्योदय 5.16  
सूर्यास्त 5.56  
अधिकतम 37°  
न्यूनतम 27°

वर्ष 18, अंक 300 पृष्ठ 8

कोलकाता, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026

वैशाख, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, वि.सं. 2083

मूल्य:

₹ 3

निष्पक्ष, निडर एवं सशक्त राष्ट्रीय दैनिक

# युवा शक्ति

कोलकाता संस्करण

www.yuvashaktinews.com



लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा यह अवसर न जाने दें, इस मंथन से अमृत निकलेगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा के दौरान इसे भारत की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया। पीएम ने कहा कि यह विधेयक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 'शुश्रूषा' हैं कि हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और यह मंथन देश की दिशा और दशा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह 20-25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, समय-समय पर इसमें सुधार होते रहते। सदन के सभी साधियों को यह अवसर मिला है। पीएम ने परिशीलन पर दक्षिण भारत के हर राज्य का प्रेम दूर किया और कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं, उस समय समाज की



मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूँ कि संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं, जल्द ही महसूस हुई होती तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहे हैं। हमारी हजार वर्ष की विकास यात्रा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जो लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25 से 30 वर्ष में ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर महिलाएं लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहाँ 33 फीसदी का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि वे आपके फैसलों को भी प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

## बंगाल में भाजपा का 'युवाशक्ति भरोसा' कार्ड जारी

### बेरोजगार युवाओं को 3000 मासिक भत्ता देने का वादा

- 'मातृशक्ति भरोसा' कार्ड भी जारी कर चुकी है भाजपा
- टीएमसी ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया

कोलकाता: बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना एक और मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए 'युवाशक्ति भरोसा' कार्ड लांच किया है। इसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। गुरुवार को दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लियेंडर पेस और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में यह कार्ड जारी किया गया। यहाँ बताया चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले दसवीं पास युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पांच वर्ष रोजगार मिलने तक भत्ता देना शुरू किया है, उसी के जवाब में भाजपा ने युवाओं को भरोसा दिलाते



के लिए यह कार्ड जारी किया है, जो घर-घर पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर लियेंडर पेस ने कहा कि बंगाल से उद्योगों और युवाओं का पलायन चिंताजनक है। कोलकाता जैसे महानगर को चुंबक की तरह होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे, लेकिन यहाँ से प्रतिभा बाहर जा रही है। वहीं विजेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए

कहा कि बंगाल के लोग 'बासी मछली' और 'बासी सरकार' पसंद नहीं करते, इसलिए अब बदलाव का समय है। भाजपा का कहना है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी इसे राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में

एक व्यापक दृष्टि का हिस्सा बता रही है। भाजपा इससे पहले बुधवार को महिलाओं के लिए 'मातृशक्ति भरोसा' कार्ड भी जारी कर चुकी है। इसके साथ ही तुणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के युवाशक्ति कार्ड व 'मातृशक्ति भरोसा कार्ड' के लॉन्च और वितरण के संबंध में भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

बंगाल में सीएम योगी ने चुनावी सभा में कहा भाजपा आयी तो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया व मौलाना



कोलकाता: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीएमसी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि 15 वर्षों के शासन में उसने बंगाल को आतंक, माफिया राज, कटमनी, भ्रष्टाचार व अराजकता का अड्डा बनाकर रख दिया है। बंगाल के चुनावी रण में दूसरी बार उतरे योगी ने तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के क्रम में मतदाताओं से बेखौफ होकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे, माफिया क्या कह रहे हैं या कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत न होइए।

डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, गुंडे, माफिया व मौलाना आपकी चाटुकारिता करते और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। अपराधियों व माफियाओं का इलाज केवल भाजपा की डबल इंजन की सरकार के पास है। योगी ने पश्चिम बर्दमान जिले के आसनसोल के पास बाराबनी और बीरभूम जिले के रामपुरहाट व बोलपुर में तीन जनसभाओं को संबोधित किया। योगी ने कहा कि जो बंगाल कभी शिक्षा व कल-कारखानों का केंद्र और भारत की अर्थव्यवस्था का लीडर था, वह आज माफिया की चपेट में है।

## रैली में ममता ने 'डराया' वे बम धमाका करेंगे व इल्जाम किसी और पर लगायेंगे



कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी (भाजपा की) योजना है कि वे एनआईए को बुलाएंगे, बम धमाका करेंगे और फिर इसका इल्जाम किसी और पर लगा देंगे। वे बाहर से कुछ लोगों को लाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे और उन लोगों को



गिरफ्तार कर लेंगे। बस कुछ ही दिन बाकी हैं। धैर्य रखें, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं और किसी भी तरह की परेशानी में न पड़ें। मैं आपसे अपील करती हूँ; वे गडबडी पैदा करके वोट चुरा लेंगे। जल्द पड़ने पर आप रात में भी उन पर नजर रखें।

### अभिषेक ने भाजपा पर लगाया लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप

झाड़ग्राम: तुणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और कुड़माली भाषा की लंबित मान्यता को लेकर भाजपा पर हमला किया। अभिषेक ने झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भाजपा द्वारा उसके घोषणा-पत्र में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने का वादा किए जाने का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यह आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं को दरकिनार करते हुए उनपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने भाजपा पर लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। तुणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार पर झाड़ग्राम जिले सहित राज्य के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तुणमूल कांग्रेस सरकार ने दो महीने पहले केंद्र को पत्र लिखकर इस भाषा को शामिल करने की मांग की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। भाजपा ने बंगाल के लिए अपने घोषणा-पत्र में कुड़माली और राजबंशी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल

करने का वादा किया है। अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं को 3,000 रुपये की प्रस्तावित मासिक सहायता के लिए फॉर्म भरने के खिलाफ आगाह किया, और आरोप लगाया कि इसी तरह के वादों के बावजूद भाजपा शासित किसी भी राज्य ने ऐसी योजना लागू नहीं की है।

## बंगाल में घुसपैठियों का स्वागत करती हैं ममता : हिमंत विश्वशर्मा

कालचिनी/कूचबिहार : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने बुधस्वतित्वार को दावा किया कि जहां उनके राज्य और त्रिपुरा में भाजपा सरकारों बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, वहीं तुणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं। असम की सीमा से लगे अलीपुरद्वार जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने यह भी दावा किया कि तुणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की अनुमति नहीं देती है, उन्होंने आरोप लगाया, असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकारों बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं, शर्मा



ने कहा कि अवैध आप्रवासन के कारण पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, और दावा किया कि राज्य में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा

पूर्वोत्तर राज्य में निश्चित रूप से जीतगी और चार मई को चुनाव परिणाम घोषित होने पर 126 सदस्यीय (असम) विधानसभा में शतक बनाएगी। असम में विधानसभा चुनाव नौ अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे और मतगणना चार मई को होगी। उन्होंने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान असम में बांग्लादेशी मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई थी, लेकिन राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद परिदृश्य बदल गया। शर्मा ने ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल और असम में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि को अस्वीकार करने के लिए चाय बागान मालिकों के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया।

### 3 बार के विधायक अब्दुर रजाक ने तुणमूल छोड़ी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तुणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले की जलंगी विधानसभा सीट से तीन बार के अनुभवी टीएमसी विधायक अब्दुर रजाक ने गुरुवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने यह फैसला इस बार टिकट न दिए जाने की नाराजगी के चलते किया। अब्दुर रजाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए टीएमसी ने तुणमूल पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने दावा किया कि इस बार टीएमसी के उम्मीदवार न केवल जलंगी में, बल्कि आसपास की डोमकल और रानीनगर विधानसभा सीटों पर भी हारेंगे। अब्दुर रजाक ने कहा कि उन्हें फिर टिकट इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि वे पार्टी को एक बड़ी रकम नहीं दे पाए। रजाक ने कहा कि फिलहाल पार्टी के भीतर ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है।

### मतदान से दो दिन पहले भी मिली क्लीन चिट तो दे पाएंगे वोट

#### 21 अप्रैल व 27 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल के निपटारे वाले वोटों को राहत

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कोर्ट के आदेश से मतदान अधिकार और सूची अपडेट को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से ठीक पहले तक अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से दो दिन पहले तक मंजूर किए जाएंगे, उन्हें आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल 2026 तक अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची



जारी की जाए, ताकि योग्य नागरिकों को मतदान से वंचित न होना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की अपील लंबित है, उन्हें केवल इसी आधार पर मतदान का अधिकार वापस नहीं दिया जाएगा। यानी अपील प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन मामलों में अपीलीय ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल (जहां चुनाव 23 अप्रैल को है) या 27 अप्रैल (जहां चुनाव 29 अप्रैल को है) तक अपील का निपटारा करके उन्हें मंजूर कर लेती हैं उन मामलों में मतदान का अधिकार देने के लिए पुनरीक्षित मतदाता सूची निकाली

### अफसरों के तबादले रोकने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। चीफ जस्टिस सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा।

## युवाशक्ति भरोसा कार्ड

भाजपा सरकार के आते ही, रोजगार मिलने तक पश्चिम बंगाल के हर युवा के स्वाते में

# ₹3,000 प्रतिमाह आएं

साथ ही, पश्चिम बंगाल के हर युवा को भाजपा की गारंटियां

अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार

दिसंबर 2026 के भीतर रिक सरकारी पदों को भरा जाएगा

सरकारी लौकरी की आय सीमा में 5 वर्ष की छूट

स्टार्टअप के लिए ₹10 लाख की आर्थिक सहायता

पालतानो दरकार

## चाई बीजेपी सरकार

भय OUT भरोसा IN BJP के वोट दीन











### न्यूज कॉर्नर

## विदेशी लिंक वाले साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिये विदेशी लोगों के संपर्क में रहकर ठगी कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने एक बैंक कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरेली निवासी एक व्यक्ति के खाते से फरवरी में 10,000 रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर की गयी शिकायत के बाद यह मामला सामने आया। पुलिस ने जांच के दौरान मयूर विहार फेज-1 स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध खाते की पहचान की, जिससे ऐसी ही कई शिकायतें संबद्ध थीं। बाद की जांच में पता चला कि एक फर्म के नाम पर खोला गया खाता, साइबर धोखाधड़ी लेनदेन के लिए बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, खाता धारक शौकीन और उसके सहयोगी शाहरुख उर्फ जोजो को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान जोजो ने एक बैंक रिशेनशिप मैनेजर की संलिप्तता का खुलासा किया, जिसने आर्थिक लाभ के लिए म्यूचुअल खाते खोलने में मदद की।

## सीबीएसई परिणाम में मिले अंकों से निराश 10वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या

गुलाम: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद यहां एक छात्र ने अपने घर पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस को संदेह है कि 16 वर्षीय कुणाल ने अपनी उम्मीदों पर खरा न उतरने से निराश होकर यह कदम उठाया होगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ऐसा संदेह है कि छात्र ने अपना परिणाम देखने और उम्मीद के मुताबिक अंक न मिलने के बाद यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम को पटीदी थाना क्षेत्र के जटौली इलाके में बाबा हरदेव कॉलोनी में हुई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि कुणाल ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आने से वह निराश था। पुलिस ने बताया कि कुणाल के माता-पिता ने उसे दोबारा परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन वह अवसाद में रहने लगा। पुलिस के मुताबिक, परिणाम घोषित होने के बाद कुणाल छत पर बने एक कमरे में चला गया जहांकि परिवार के अन्य सदस्य घटना के समय घर के दूसरे कमरे में थे। पुलिस ने बताया कि बाद में जब परिवार के सदस्य ऊपर गए तो उन्होंने कमरा अंदर से बंद पाया और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर कुणाल का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

## सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में इन प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण हैं। प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं पीलीभीत पाकिनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की ओर से मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा दी गई दलीलों पर गौर किया और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शरीयत उत्तराधिकार नियम महिलाओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण हैं। भूषण ने कहा कि 1937 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार से जुड़े मामले दीवानी प्रकृति के होते हैं और ये अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित आध्यात्मिक धार्मिक प्रथा नहीं हैं। वकील ने कहा, यह कहना कि महिलाओं को पुरुष समकक्षों की तुलना में आधा या उससे भी कम मिलेगा, भेदभावपूर्ण है।

## हत्या मामले में कांग्रेस विधायक कुलकर्णी व अन्य के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित


बेंगलुरु: कर्नाटक में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 16 अन्य लोगों की सजा की अवधि पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस संबंध में फैसला 17 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अदालत ने बुधवार को आरोपियों को आपराधिक साजिश और संबंधित अपराधों का दोषी ठहराया था। अदालत ने गुरुवार को सजा की अवधि पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने अभियुक्तों को योगेश गौड़ा की हत्या के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया और उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

## चींटियों की तस्करी में चीनी व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास की सजा

नैरोबी (केन्या): केन्या की एक अदालत ने चींटियों की तस्करी करने का दोषी पाए जाने पर एक चीनी नागरिक को बुधवार को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। चीनी नागरिक कई विशेष तथ्यों में चींटियों की कथित तौर पर तस्करी कर रहा था। बिना लाइसेंस के न्यायज्ञों को कब्जे में रखने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद झांग केकुन पर दस लाख केन्याई शिलिंग (7,700 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया गया। केन्या ने पहले भी बेल्जियम के किशोरों पर जुर्माना लगाया था, जिनके कब्जे में रानी चींटियां पाई गयी थीं। इन चींटियों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है और यूरोप तथा एशिया में इन्हें पालतू के रूप में भी रखा जाता है। केकुन के साथ इस मामले में केन्याई नागरिक चार्ल्स म्वांगी को भी आरोपी बनाया गया था जिसने आरोप स्वीकार नहीं किए और उसे नकद जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियोजकों के अनुसार, केकुन कथित तौर पर म्वांगी से चींटियां हासिल कर रहा था और उसने शुरुआती 600 चींटियों के लिए 60,000 केन्याई शिलिंग (463 अमेरिकी डॉलर) तथा 700 चींटियों की एक अन्य खेप के लिए 70,000 शिलिंग (540 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान किया था। अधिकारियों द्वारा 10 मार्च को संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से विशेष ट्यूबों में रखी 1,948 गार्डन चींटियां और टिश्यू रोल में रखी अतिरिक्त 300 चींटियां बरामद की गईं।

# जनगणना जातियों की गिनती के साथ हो रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही यह जनगणना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर-संवैधानिक है। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किये जाते समय समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव और धर्मदूत यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कहीं। केंद्रीय कानून मंत्री अजुन राम मेघवाल ने सदन में आज संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए धर्मदूत यादव ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से जिस तरह परिसीमन को जनगणना से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार को विधेयक लाने की इतनी जल्दबाजी क्या है? उन्होंने कहा, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? जैसे ही जनगणना होगी, हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे, जातीय जनगणना होगी तो हम आरक्षण की मांग



करेंगे, इसलिए आप यह धोखा देना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है और सपा सदस्यों के कुछ बयान जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि

जनगणना क्यों नहीं हो रही है? मैं बताना चाहता हूँ कि देश में जनगणना शुरू हो चुकी है और जारी है। शाह ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने जातीय जनगणना की बात कही तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार जातियों की जनगणना का निर्णय पहले ही ले चुकी है और जाति के साथ ही यह जनगणना हो रही है। जनगणना में जातियों का कॉलम नहीं होने संबंधी धर्मदूत यादव के आरोप पर शाह ने कहा, जनगणना में अभी घराओं की गिनती हो रही है, घरों की कोई जाति नहीं होती। सपा का वश चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। जब घरों की गिनती के बाद नगरिकों की जनगणना होगी, उसमें जाति का कॉलम होगा। उन्होंने कहा, धर्मदूत यादव ने मुस्लिम आरक्षण की गैर-संवैधानिक बात कही। है, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता। मैं सरकार का संकल्प दोहराता हूँ कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों का आरक्षण गैर-संवैधानिक है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने भी धर्मदूत यादव के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है और सदस्य को इस तरह की असंवैधानिक बात नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम पूरे देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप केवल मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों कर रहे हैं? यह राजनीतिक बयान है। शाह ने यह भी कहा, सपा चाहें तो सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें, हमें कहां आपत्ति है।

## भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की नीति अपना रही सरकार: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की नीति अपना रही है और नागरिकों के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। शर्मा ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवधि में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हत्या के मामलों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26 प्रतिशत और लूटपाट में 50.75 प्रतिशत की कमी आई है जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम है और उनके प्रयासों से लोगों में सुरक्षा की भावना बनी है। उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसे चुनौतियों से निपटने में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। शर्मा ने बताया कि



हाल ही में स्वापक रोधी कार्य बल, विशेष थाना और कई चौकियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा, साथ ही गैंगस्टर रोधी कार्य बल संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की गई है और नई इकाइयां व थाने बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उल्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। -

## सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 महिलाओं से दो करोड़ रुपये ठगे, गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल के जरिए डॉक्टर, फिल्म निर्माता, वकील, कारोबारी एवं मॉडल बनाकर देशभर की 500 से ज्यादा महिलाओं से दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में 35 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित गोयल ने एक बयान में बताया कि जिले की साइबर पुलिस की एक टीम ने आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसपर डेटिंग और विवाह संबंधी मंचों के माध्यम से महिलाओं को निशाना बनाकर 'रोमांस स्कैम', मोहापा और ऑनलाइन ब्लैकमेल का एक संगठित नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि कुमार महिलाओं से संपर्क करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के साथ-साथ डेटिंग और विवाह संबंधी ऐप पर फर्जी प्रोफाइल के आधार पर प्रोफाइल बनाता था। डीसीपी ने कहा, वह खुद को एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले सुस्थापित पेशेवर व्यक्ति के रूप में पेश करता था, और भरोसा जीतने और पीड़िताओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर



खुद को डॉक्टर, व्यवसायी या फिल्म निर्माता बताता था। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी पीड़िताओं से दोस्त के तौर पर बातचीत शुरू करता था और धीरे-धीरे कई दिनों या हफ्तों में उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाता था और विश्वास कायम होने के बाद, वह उनके साथ निजी मैसैजिंग मंचों पर जाकर बातचीत करता था और इन मंचों का इस्तेमाल कई मोबाइल नंबरों के जरिए किया जाता था ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके। उन्होंने कहा, आरोपी ने एक ही समय में कई पीड़िताओं से समानांतर बातचीत की। उसने भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया और 'क्रॉस-वोटिंग' के लिए आरोपी ने पहले एक डेटिंग ऐप पर इस महिला से दोस्ती की और बाद में शहीद का वादा किया। आरोपी ने एक और फर्जी पहचान के आधार पर आईडी बनाई और इसमें खुद को कुमार का दोस्त बताते हुए महिला से परिचय किया और दावा किया कि वह उनके रिश्ते को औपचारिक रूप में तय करने में मदद करेगा।

## यूक्रेन में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत

कीव: रूस ने यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों पर कई घंटे तक सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। लगभग दो सप्ताह में यूक्रेन को निशाना बनाकर किया गया रूस का यह सबसे बड़ा हवाई हमला था। अधिकारियों ने बताया कि रूस ने लगभग 700 ड्रोन और कई बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलें दागीं, जिनका मुख्य निशाना आम नागरिक थे। रूस ने चार साल से अधिक समय पहले पड़ोसी देश पर आक्रमण किया था और तब से रूसी सेना लगभग हर दिन नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रही है। निर्मित हमलों के बीच-बीच में बड़े पैमाने पर हमले भी होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इन हमलों में 15,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। ताजा बमबारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की की इस सप्ताह जर्मनी, नॉर्वे और इटली की 48 घंटे की



यात्रा के बाद हुई है। यात्रा के दौरान जेलेन्स्की ने रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की तत्काल मांग की थी। यूक्रेन को डर है कि ईरान युद्ध के कारण उन उन्नत अमेरिकी-निर्मित प्रणालियों के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिनकी उसे आवश्यकता है। साथ ही, उसने रूसी तेल पर अमेरिकी अस्थायी छूट का विरोध किया है। यूक्रेन का कहना है कि इससे रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तीय मदद मिल रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने

बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर कहा, इस तरह के हमलों को सामान्य नहीं माना जा सकता। ये युद्ध अपराध हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए और इनके दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सिबिहा ने बताया कि कीव में कम से कम चार लोग मारे गए, जिनमें 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में नौ लोग मारे गए और 23 अन्य घायल हो गए और दक्षिण में जापोरिजिया में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि हवाई सुरक्षा बलों ने 703 लक्ष्यों में से 667 को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया, जिनमें 636 शाहद-किरम के ड्रोन और अन्य ड्रोन शामिल थे। वायु सेना ने बताया कि 20 स्ट्राइक ड्रोन और 12 मिसाइलों ने 26 स्थानों को निशाना बनाया।

## पंजाब: आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से चार हथगोले बरामद किए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर व मोहाली के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठों और पंजाब पुलिस की काउंटर इंटे्लिजेंस विंग के संयुक्त अभियान में दो विदेशी पिस्तौल और गोला-बारूद भी बरामद किए गए। यादव ने एक पोस्टर में बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहा था और चंडीगढ़ में हाल ही में हुए ट्रेनेड हमले में शामिल आतंकी मॉड्यूल से उसके संबंध हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अमृतसर के पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेंटर में प्राथमिक दर्ज की गई है और इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रही है।



आधिकारिक लाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति (डीएसपी) ने हाल में पांच विधायकों के निलंबन की सिफारिश की थी। समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने पूर्व में कहा था कि समिति ने एकरिपोर्टेयार की है और भाजपा समर्थित निर्देशीय उम्मीदवार सतीश नंदल के पक्ष में पांच पार्टी विधायकों द्वारा कथित 'क्रॉस-वोटिंग' के मुद्दे पर पार्टी ने तत्काल अपना निर्णय बता दिया है।

## चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने संबंधी जनहित याचिका

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा फैसला "नीतिगत चरम" में आता है और न्यायपालिका इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकती। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित पक्षों के समक्ष रखें। पीठ ने कहा कि जानबूझकर मतदान न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान लागू करने और मतदान को अनिवार्य बनाने जैसी मांगों पर अदालत विचार नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जानबूझकर मतदान नहीं करते, उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से फूलता-फलता है। उन्होंने कहा, एक ऐसे देश में, जो कानून के

## सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार




शासन पर चलता है और लोकतंत्र में विश्वास करता है और जहां हमने 75 वर्षों में इस पर भरोसा दिखाया है, हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह मतदान करने जाए। अगर वे नहीं जाते, तो नहीं जाते। जरूरत जागरूकता की है, हम उन्हें

मजबूर नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने भी सुझाव दिया कि अदालत निर्वाचन आयोग को गैर-मदताताओं के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने का निर्देश दे। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि घर पर रहने को

## सपा अध्यक्ष अखिलेश ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा

### 'नारी को नारा बाने की कोशिश कर रही भाजपा'

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक के बहाने नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने महिला आरक्षण से संबंधित तीन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन भाजपाई चालबाजी क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा इस (महिला) आरक्षण को लेकर नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनका मान-सम्मान कैसे रखेंगे। जिस मूल संगठन से आप



लगाते हुए कहा, हमारी मांग है कि आधी आवादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का असली लक्ष्य वोट हासिल करना और सत्ता में बने रहना है, इसलिए वे विधेयक लाये गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यही राजनीतिक चाल है कि जब पुराने लोग समझ जाते हैं तो वे नये लोगों को लक्षित करते हैं, लेकिन यह इसमें सफल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश कन्नौज से सपा सांसद ने सत्तारूढ़ दल पर यह भी आरोप लगाया, भाजपा की कमीशन खोरी और चंदा बसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उससे उनकी (महिलाओं की) रसोई सूखी हो गई है।

# हरिवंश के राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुने जाने की संभावना

**नयी दिल्ली:** मनोनीत सदस्य हरिवंश के राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि उनके पक्ष में पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए वहीं विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उपसभापति पद के लिए चुनाव शुक्रवार को सुबह 11 बजे होगा। हरिवंश का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को चुनाव कराने की तारीख तय की है। चुनाव प्रस्तावों के नोटिस देने की अंतिम तिथि और समय बुधवार को दोपहर 12 बजे था। सूत्रों के अनुसार, हरिवंश के पक्ष में पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए जबकि विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। विपक्ष ने मोदी सरकार द्वारा सात वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं करने के विरोध में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन एस फांशोन कोन्कन ने किया। दूसरा प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पेश किया और भाजपा सांसद बृजलाल ने इसका समर्थन किया। वित्त



मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और जद (यू) सांसद संजय कुमार झा ने समर्थन किया। एक अन्य प्रस्ताव रालोद सांसद अंजु केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पेश किया, जिसका शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि निर्धारित समय तक विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उपसभापति पद के लिए चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। पूरी संभावना है कि नड्डा द्वारा प्रस्तुत और कोन्कन के समर्थन वाले पहले

प्रस्ताव को सदन ध्वनि मत से पारित कर दे। सूत्रों ने बताया कि सभापति राधाकृष्णन उपसभापति पद के लिए हरिवंश के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद सदन के नेता और विपक्ष के नेता स्थापित परंपरा के अनुसार उन्हें आसन तक ले जाएंगे। हरिवंश दो बार सदन के उपसभापति रह चुके हैं और यदि निर्वाचित होते हैं, तो यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने इस मामले पर कोई सार्थक परामर्श भी नहीं किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि

हरिवंश 3.0 विपक्ष के सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। "हरिवंश 3.0" से ताल्लुक हरिवंश के तीसरे कार्यकाल से है। रमेश ने विपक्ष के विरोध के कारण बताते हुए कहा, पहला, मोदी सरकार ने सात वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा "दूसरा, राज्यसभा में उपाध्यक्ष के समकक्ष उपसभापति होता है। हरिवंश का दूसरा कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हुआ। इसके एक दिन बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया और अब वह तीसरे कार्यकाल के लिए राजग के उम्मीदवार हैं। रमेश ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विचार किया गया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के मन में हरिवंश के प्रति किसी भी तरह का अन्याय नहीं है। हरिवंश का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सी.ए.ए. में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और उन्होंने 10 अप्रैल को शपथ ली।

## वेतन निर्धारण नियमों के खिलाफ पूर्व सैनिकों की याचिका न्यायालय ने खारिज की

**नयी दिल्ली:** उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें मौजूदा वेतन-निर्धारण नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। समूह का आरोप था कि मौजूदा ढांचा सेना के उन पूर्व सैनिकों को अनुचित रूप से दंडित करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद सिविल सेवाओं में शामिल होते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागी और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील अधिनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जो बदले में यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता, जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता बेंगलूर के चोथरी भी शामिल हैं, असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीपीटी) से संपर्क कर सकते हैं। चोथरी और पांच अन्य लोगों ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अधिनी दुबे के माध्यम से दायर उनकी याचिका में केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 और उसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 1 मई, 2017 के ह्रासना का हवाला दिया था।

## अदालत में पेश हुए केजरीवाल, न्यायमूर्ति शर्मा से हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया



**नयी दिल्ली:** आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण काता शर्मा से उनके अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने की अपील की। केजरीवाल ने हलफनामे में दावा किया है कि शराब नीति मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखने को लेकर न्यायाधीश शर्मा का 'प्रत्यक्ष रूप से हितों का टकराव' है। न्यायमूर्ति शर्मा ने रजिस्ट्री को पूर्व मुख्यमंत्री के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई से उनके अलग होने की मांग संबंधी केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनिश्चित रखने के बाद वह 'मामले की सुनवाई दोबारा शुरू नहीं कर रही हैं'। केजरीवाल वॉडियर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए। सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी अपना लिखित जवाब दाखिल करेगी। केजरीवाल के अनुरोध पर अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को अपने जवाबों की एक प्रति उन्हें देने को कहा। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, लेकिन यह

मामला सुरक्षित है। मैं इसे दोबारा नहीं खोल रही हूँ, सुरक्षित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाता। केजरीवाल ने 14 अप्रैल के अपने अतिरिक्त हलफनामे में दावा किया कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्र सरकार के सूचीबद्ध वकील हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से काम मिलता है और वह सीबीआई की ओर से इस मामले में पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 'हितों का सीधा टकराव' है, जिसने उनकी आशंका को और बड़ा दिया है, इसलिए न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष मामले को अपने से अलग करने का आधार बनता है। केजरीवाल ने अदालत में प्रस्तुत होकर दलील देने के लिए समय भी मांगा क्योंकि उन्हें आशंका है कि न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई जारी रहने से "कानून द्वारा अपेक्षित न्यायिक निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तटस्थता" का पूर्ण स्वरूप बरकरार नहीं रह जाएगा। केजरीवाल ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे को काफी कानूनी कार्य सौंपा गया था। हलफनामे में प्रस्तुत जानकारी के

अनुसार, आरटीआई के जवाब में बताया गया कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2023 में न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे को कुल 2,487 मामले, 2024 में 1,784 मामले और 2025 में 1,633 मामले सौंपे गए थे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इन 'महत्वपूर्ण तथ्यों' की जानकारी प्राप्त की और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पैनेल में शामिल करना मान्य नहीं बल्कि इसमें अदालत में पेशी और वित्तीय लाभ शामिल हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायाधीश के खिलाफ कई आपत्तियां उठाईं। इन आपत्तियों में यह भी शामिल है कि न्यायाधीश शर्मा ने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर राहत देने से मना कर दिया था और 'कठोर व निर्णायक' निष्कर्ष भी दिए थे। मेहता ने न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से अलग करने की याचिका का विरोध किया और केजरीवाल व अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। मेहता ने केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं को 'अपरिपक्व आशंकाएं' बताते हुए अदालत से कहा कि यह 'संस्थान सम्मान' का मामला है और न्यायमूर्ति शर्मा को दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 'बेबुनियाद आरोपों' पर उनका अलग होना एक गलत मिसाल कायम करेगा। अदालत ने न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से अलग करने की याचिका पर 13 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

## तमिलनाडु चुनाव: टीवीके का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा



**चेन्नई:** तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तमिलनाडु वेंडी कन्नम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। टीवीके प्रमुख विजय ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कल्याण उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही जो नहीं कहा है, वह भी करेंगे। चेन्नई के नंगमबक्कम स्थित एक निजी होटल में गुरुवार को जारी घोषणापत्र में टीवीके ने महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए कई वादे किए हैं। इसमें 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता देने की बात कही है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर, निर्धन परिवारों की मदद के लिए शादियों में आठ ग्राम सोना और दुल्हन

को गुणवत्तापूर्ण सिल्क साड़ी देने का भी वादा किया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात भी इसमें शामिल है। टीवीके प्रमुख विजय ने घोषणापत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का भी वादा किया है। पार्टी ने 100 कामराज स्तर के स्कूल, सभी जिलों में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मुफ्त आवासीय स्कूल, प्रत्येक स्कूल में आधुनिक बुनियादी ढांचा और विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान किए जाने का वादा किया है। इसके अलावा प्रत्येक तमिल छात्र के शिक्षा सपनों को समर्थन देने के लिए स्नातक से पीएचडी तक 20 लाख रुपये तक ऋण की गारंटी का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में नशामुक्त तमिलनाडु का वादा किया है। घोषणापत्र में एक परिवार को 25 लाख रुपये तक का यूनिवर्सल हेल्थ

इश्वरोंसका वादा किया है। प्रत्येक नागरिक को वार्षिक जांच और सस्ती दवाएं प्रदान करने की बात भी कही है। टीवीके ने घोषणापत्र में कहा है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को 4,000 रुपये प्रति माह, 12वीं और आईटीआई-डिप्लोमा करे हुए युवाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के रूप में 25 लाख रुपये और सभी सरकारी भूतों परीक्षाओं के लिए एक निश्चित समय सारिणी का वादा किया है। कृषि क्षेत्र के लिए टीवीके ने कहा है कि पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों के लिए कृषि सहकारी समितियों से लिए गए सभी फसल ऋण पूरी तरह माफ किए जाएंगे। पांच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को कृषि सहकारी समिति के फसल ऋण पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। धान के लिए 3,500 रुपये प्रति किंटल, गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि तेल फसल किसानों के लिए नारियल की कीमत स्थिर की जाएगी, पट्टेदार किसानों और कृषि मजदूरों को सीधे सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा।

## जम्मू कश्मीर को मादक पदार्थों की बुराई से मुक्त कराने तक चैन से नहीं बैठेंगे : उपराज्यपाल



**श्रीनगर:** जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस केंद्रशासित प्रदेश को वह मादक पदार्थों की बुराई से मुक्त नहीं करा लेते। उन्होंने यहां महिला किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग, सभी नशा मुक्ति के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा, "मैंने 11 अप्रैल को जम्मू में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया और हमने फैसला किया है कि जब तक हम नशीली दवाओं की बुराई को खत्म नहीं कर देते, हम आराम से नहीं बैठेंगे।" उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया था, तब जम्मू-कश्मीर में भी काफी प्रयास किए गए थे। पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, अधिक मादक पदार्थ जब्त किये जा रहे हैं, पहले की तुलना में अधिक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।" सिन्हा ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में कश्मीर में नशा विरोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम तीन मई को अभियान के कश्मीर संस्करण को शुरू करेंगे। मैं आप बहनों से

अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आएं और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में योगदान दें।" उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार अकेले इस समस्या से पार नहीं पा सकती। उन्होंने कहा, "हमने ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने मादक पदार्थों के व्यसन के चलते अपने बच्चे को खो दिया है या उनकी बेटी उसका शिकार हो गई है। हम इस खतरे से छुटकारा पा सकते हैं, इस सरकार की शक्ति को लोगों के प्रयासों का समर्थन प्राप्त हो।" उपराज्यपाल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और कृषि-उद्यमिता में महिला किसानों के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

## चंडीगढ़ और पंजाब के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला

**चंडीगढ़:** चंडीगढ़ और पंजाब के बरनाला में बुधवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले। अधिकारियों ने कहा कि गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते, थान दस्ते और एम्बुलेंस व दमकल विभाग सहित अन्य दलों को तुरंत स्कूलों में भेजा गया। पुलिस के अनुसार, बरनाला के छह स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले थे, बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया

कि धमकियों की सूचना मिलते ही विस्फोटक एवं सुरक्षा जांच दलों और संबंधित थाना पुलिस सहित सभी अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों की जांच की गई और स्कूलों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया। पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर इसी तरह की धमकियां मिली थीं, जो बाद में फर्जी निकलीं। ताजा घटनाक्रम उसी कड़ी का हिस्सा लग रहा है, कुछ दिन पहले पटियाला और मोगा के भी कई स्कूलों को ऐसी ही फर्जी बम की धमकी मिली थी।

www.thejunctiongroup.com

### Junction

— WORKPLACE SOLUTIONS —

#### Customised Workplace Solutions

1. Jeevan Deep, Middleton St. Crossing | 40,000 sq. ft.
2. Macneill Court, 225 AJC Bose Road | 80,000 sq. ft.
3. Anandalok, 227 AJC Bose Road | 25,000 sq. ft.
4. Paddapukur Rd., Bhawanipore | 1,600 sq. ft.
5. SLS Tower, Sector V, Salt Lake | 60,000 sq. ft.
6. Synthesis Business Park, New Town | 6,000 sq. ft.
7. Mani Casadona, New Town | 35,000 sq. ft.

#### Flexible Options

- Private Cabins
- Enterprise Solutions
- Meeting Rooms
- Dedicated & Coworking

FOR MORE DETAILS, CONTACT US!

98744 14000/5, 98745 28385

itsupport@thejunctiongroup.com

## उर्दू भाषा को लेकर फिरहाद हाकिम के बयान पर शुभेंदु अधिकारी की तीखी प्रतिक्रिया

**कोलकाता:** उर्दू भाषा को लेकर कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम की कथित टिप्पणी पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तुणमूल कांग्रेस जिस तरह से बंगाल में अरब संस्कृति और उर्दू भाषा को बढ़ावा दे रही है, वह बंगाली और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उर्दू भाषा से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में फिरहाद हाकिम ने कथित तौर पर यह बयान दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल के 50 प्रतिशत लोग उर्दू में बात करें तो उन्हें खुशी होगी, जो स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में एक वीडियो सामने आया है (हिन्दुस्थान समाचार इसकी पुष्टि नहीं करता), जिसमें फिरहाद हाकिम को इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना जा रहा है। इसी बयान को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है।

**SHYAM METALICS**  
ORE TO METAL

**TIGER**  
550D TMT RE-BAR

**REAL STEEL  
REAL STRENGTH**

"Shyam Metalics is a leading integrated metal-producing company based in India primarily in the steel industry in West Bengal and Odisha with a focus on long steel products and ferro alloys. Headquartered in Kolkata, West Bengal, the company is amongst the largest producers of ferroalloys in terms of installed capacity in India (Source: CRISIL Report). The company can sell intermediate and final products across the steel value chain. Shyam Metalics is one of the leading players in terms of pellet capacity and the fourth largest player in the sponge iron industry in terms of sponge industry capacity in India."

- Source: CRISIL Report

**OUR PRODUCTS**

sales@shyamgroup.com  
contact@shyamgroup.com

www.shyammetalics.com  
www.seltigermt.com

Toll Free No.  
**1800 202 2233**

